

संख्या—BSDM / युवा उप मिशन—06 / 2016—
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः—

राज्य सरकार के 7 निश्चय के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश।

प्रसंगः—

ज्ञापांक —BSDM/ युवा उप मिशन—06 / 2016—457, दिनांक—21.09.2016 को प्रतिस्थापित करने के संबंध में।

महाशय,

इस पत्रांक द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के संबंध में पूर्व में निर्गत प्रासंगिक पत्र को प्रतिस्थापित करते हुये निम्नांकित नये दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। मूलतः कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों की अहता आयु को परिवर्तित करते हुये दोनों श्रेणियों के लिये इसे 15—25 वर्ष कर दिया गया है। अतः निम्नांकित दिशा निर्देश के अनुसार हीं कार्रवाई की जाये।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या—673 दिनांक 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के एक निश्चय कौशल विकास को सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धरण निम्नवत् हैः—

“राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत करया जाएगा”

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना “कुशल युवा कार्यक्रम” प्रारंभ करने एवं कार्यान्वयित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग को सौंपा गया है।

2. कौशल विकास केन्द्रः—

इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिये सभी प्रखण्डों में स्थल चयन किया जा चुका है तथा निर्माण एजेन्सी बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। इन भवनों का औपचारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर, 2016 को प्रस्तावित है। ये भवन निविदा के माध्यम से निजी संस्थाओं को प्रशिक्षण संचालन हेतु आवंटित किये जायेंगे। इसके लिये प्रथम बार की निविदा में 292 केन्द्र आवंटित किये जा चुके हैं एवं शेष 242 केन्द्रों के आवंटन हेतु पुनर्निविदा निकाली जा चुकी है। इसके अलावा व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा स्वयं के भवनों में भी केन्द्र का संचालन किया जायेगा जिसके लिये ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया 15 जुलाई से प्रारंभ है एवं 26 अक्टूबर, 2016 तक केन्द्रों को अंतिम स्वीकृति दे दी जायेगी।

3. कुशल युवा कार्यक्रम :-

कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण क्रमशः 80,120 एवं 40 घंटे, इस प्रकार कुल 240 घंटे का होगा, जिसे तीन माह में पूरा किया जायेगा। कौशल विकास केन्द्रों पर कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण 15 नवम्बर, 2016 से प्रारंभ करने की योजना है।

